प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स.......433/2022....... दिनांक 4/11/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या ....66.... समय.......12:30 PM.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः गुरूवार दिनांक 03.11.2022 समय 02.55 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 22.09.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
(ब) पता : कार्यालय सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा
.........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या...................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :

(अ) नाम :	– श्री पंकज कुमार सोलंकी
(ब) पिता	– श्री धनराज सोलंकी
(स) जन्म तिथि/वर्ष	– 35 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :	– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या	–...................... जारी होने की तिथि................................
जारी होने की जगह.........	–..
(र) व्यवसाय	– ट्रावेल्स ऐजेन्सी
(छ) पता	– तिरूपति नगर उदयपुर रोड बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री हेमन्त पाटीदार पुत्र श्री डायालाल पाटीदार उम्र 36 वर्ष जाति पाटीदार निवासी मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दुध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल परीविक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाडा, अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 20,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (अगर अपेक्षित हो तो अतिक्ति पन्ना लगावे)–

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मेरी फर्म सोलंकी टूर एण्ड ट्रावेल्स के नाम से हैं। कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के कार्यालय आदेश कमांक 756 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा विभाग में दिनांक 01.04.2022 से 28.02.2023 तक के लिये मासिक किराये पर शर्तो के अनुरूप अनुबंध किया गया हैं। मेरे

द्वारा विभाग को वाहन उपलब्ध कराया जाने के बाद प्रतिमाह भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जाता हैं, जिसको पारित कर ऑन लाईन मेरी फर्म के बैक खाते में जमा किया जाता हैं। श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक द्वारा उक्त बिलों के भुगतान हेतु प्रतिमाह 10 हजार रूपये रिश्वत मांग की जाती हैं। अब वह कह रहे कि तु तो केवल फर्म का बिल दे देना और तुझे बिल उपलब्ध कराने के 5–10 प्रतिशत राशि दे दूंगा और शेष राशि मैं रख लुंगा। मैने काफी निवेदन किया तो वह डरा धमका कह रहे कि मैने कहा वैसा नहीं किया तो तेरा वाहन विभाग से हटा दूंगा और कभी भी अनुबंध पर नही लगने दूंगा। बमाह सितम्बर 2022 का 27900 रूपये बिल सहायक निदेशक महोदय को प्रस्तुत करने पर 2 प्रतिशत टीडीएस 558 रूपये कटौती पश्चात् 27342 रूपये का भुगतान मेरी फर्म केखता संख्या 39402880848 में ऑन लाईन जमा होगे। श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा उक्त बिल का भुगतान होने के बाद मुझसे 25000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए कहते कि तु तो खाली अब फर्म का प्रतिमाह बिल उपलब्ध करा देना भुगतान के बाद नगद राशि 25000 रूपये मुझसे लेगे और कहते है कि कार्यालय में वाहन उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है और बिल उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है और बिल उपलब्ध कराने के बकाया 2342 रूपये अपने पास रखने हेतु कहा गया। मैं अवैध रिश्वत के रूपये श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक महोदय को नहीं देकर आपके विभाग से पकडवाना चाहता हूं। रिपोर्ट पेश कर रहा हूं पकडने की आवश्यक कार्यवाही करावें।

दिनांक 22.09.2022 सही/–

(पकज कुमार पिता श्री धनराज सोलंकी)
निवासी तिरूपति नगर बांसवाडा।
मो0न0 9929552659

<u>कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा</u>

<u>दिनांक 22.09.2022 समय 06.00 पीएम</u>

इस समय परिवादी श्री पकज कुमार पुत्र श्री धनराज सोलंकी जाति बुनकर उम्र 35 वर्ष निवासी तिरूपति नगर उदयपुर रोड थाना कोतवाली जिला बांसवाडा पेशा ट्रावेल्स एजेन्सी ने ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पर उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–बशब्द सही होना व रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि सोलंकी टूर एण्ड ट्रावेल्स के नाम से उसकी फर्म हैं। कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के कार्यालय आदेश कमांक 756 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वर्ष 2022–23 में मासिक किराये पर शर्तो के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभाग से अनुबंध किया गया हैं। निमयानुसार फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध कराने उपरान्त प्रतिमाह विभाग को बिल प्रस्तुत करने पर फर्म के बैक खाता संख्या 39402580848 भारतीय स्टेट बैक शाखा ठिकरिया जिला बांसवाडा में ऑन लाईन जमा किया जाता हैं। उक्त बिलों के भुगतान हेतु प्रतिमाह 10,000 रूपये की रिश्वत भी श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक द्वारा मांग की जा जाती हैं। श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा अब मुझसे प्रतिमाह 27342 रूपये के भुगतान करने के एवज में 25000 रूपये की रिश्वत मांग कर कहते है कि तु तो केवल फर्म का बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर मुझे नगद 25000 रूपये दे देना और शेष राशि 2342 रूपये बिल उपलब्ध कराने के एवज में रख लेना तथा विभाग को वाहन भी उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं हैं। श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक को अवैध रिश्वत राशि 25000 रूपये नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। पूछताछ पर परिवादी श्री पकज कुमार ने यह भी बताया कि हेमन्त पाटीदार से किसी प्रकार की कोई उधारी लेन–देन बाकीयात नहीं और ना ही किसी प्रकार आपसी रंजिश हैं। परिवादी श्री पकज कुमार द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के कार्यालय आदेश कमांक 756 दिनांक 25.03.2022 द्वारा सोलंकी टूर एण्ड ट्रावेल्स के अनुबंध आदेश की छाया प्रति प्रति पेश की गई जिसे शामिल कार्यवाही की गई। दरियाप्त पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं। श्री राजेश कुमार कानि0 से डिजिटल टेप रिकोर्डर मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्ड के रख–रखाव व उसके संचालन की विधि पूर्णतया समझाई गई तथा ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया को बताने पर परिवादी श्री पकज कुमार ने बताया कि आरोपी श्री हेमन्त कुमार पाटीदार सहायक निदेशक अपने निवास हाउसिंग बोर्ड गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा पर मिलेगे और वह मुझसे अपने घर पर भी रिश्वतर राशि संबंधी वार्तालाप कर लेते हैं। श्री राजेश कुमार कानि0 का परिवादी श्री पकज कुमार का आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 06.40 पीएम पर परिवादी श्री पकज कुमार को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह श्री राजेश कुमार कानि0 को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से हाउसिंग बोर्ड गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के निवास के लिये रवाना किया गया। समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री पकज कुमार एवं श्री राजेश कुमार कानि0 ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजिर आये। परिवादी श्री पकज कुमार ने डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूपूर्द कर बताया कि ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा हाउसिंग बोर्ड गणेश डेयरी के पास पहूंचकर डिजीटल टेप रिकोर्डर चालु कर श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक निदेशक के घर गया तो वह उपस्थित मिले, जिनसे मेरें फर्म के वाहन के भुगतान हेतु वार्तालाप की तो उनके द्वारा 25000 रूपये अवैध रिश्वत मांग करते हुए मुझे कहा कि तु तो केवल फर्म का प्रतिमाह बिल उपलब्ध करा देना और ऑन लाईन भुगतान फर्म के बैक खाते में जमा होने के बाद नगर 25000 रूपये रिश्वत राशि देने हेतु कहा गया हैं और फर्म का बिल उपलब्ध कराने के एवज में बकाया 2342 रूपये मुझे रख लेने हेतु कहा गया। मैने काफी हाथा जोडी की लेकिन वो नहीं माने और

25000 रूपये अवैध रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। मैने हाथाजोडी कर 20000 रूपये देने हेतु कहा तो कहा गया हैं। श्री राजेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद की गई। परिवादी ने यह भी बताया कि बमाह सितम्बर, 2022 का बिल माह अक्टूम्बर 2022 को कार्यालय बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा में पेश करने पर नियमानुसार भुगतान मेरी फर्म के बैक खाते में जमा होगा। इसके बाद नगद राशि निकालकर श्री हेमन्त पाटीदार को दी जानी हैं। डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाकर सुना गया तो आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई हैं। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही परिवादी के फर्म का बमाह सितम्बर, 2022 का ऑन लाईन भुगतान प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को ट्रेप कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने एवं वाहन के बिल का भुगतान प्राप्त होने पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। डिजीटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 15.10.2022 समय 12.15 पीएम पर परिवादी श्री पकज कुमार ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आया और बताया कि नवरात्री व दशहरा पर्व राजकीय अवकाश होने पर मैने दिनांक 06.10.2022 को बमाह सितम्बर, 2022 का बिल श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक को प्रस्तुत करने पर जो आज दिनांक 15.10.2022 को पास होकर भुगतान मेरी फर्म के बैक खाते में प्राप्त हो गया। रिश्वत राशि 20000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। आज सुबह श्री हेमन्त पाटीदार से मेरी वाट्सअप कॉल पर बात हुई थी तो रिश्वत राशि लेकर आज उनके घर दोपहर तक हाउसिंग बोर्ड गणेश दूध डेयरी के पास बांसवाडा बुलाया गया हैं। समय 12.50 पीएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु नियमानुसार दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बांसवाडा को जरिये दूरभाष अविलम्ब दो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो इकाई, बांसवाडा भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 02.05 पीएम पर परिवादी श्री पकजकुमार ने बताया कि श्री हेमन्त पाटीदार के मोबाईल नम्बर 7014894226 से मेरे मोबाईल नम्बर 9929552659 पर अभी कॉल आया हैं उन्होने कहा कि अभी अपने गांव जा रहा हूं और रिश्वत राशि लेकर अभी घर हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा पर मत आना और कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक (दिनांक 17.10.22 से 21.10.22) जयपुर विभागीय ट्रेनिंग व मिटिंग में जाने वाला हूं। दीपावली बाद रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा गया हैं। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं होने से परिवादी श्री पकज कुमार को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। समय 03.20 पीएम पर तलबिदा शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज जोशी एवं श्री मंयक जैन तृतीय श्रेणी अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुपडा जिला बांसवाडा हाजिर आये। समय 03.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज जोशी एवं श्री मंयक जैन तृतीय श्रेणी अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुपडा जिला बांसवाडा को गोपनीयता बरतने तथा जब भी तलब करने पर तुरन्त ही ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 03.11.2022 समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री पकज कुमार ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आया और बताया कि मेरे पिताजी का स्वास्थ खराब होने से दिपावली का पर्व के बाद ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं आ सका था। दिनांक 02.11.2022 को बमाह अक्टूम्बर, 2022 का बिल 27900 रूपये का कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा में प्रस्तुत कर दिया हैं। श्री हेमन्त पाटीदार साहब द्वारा रिश्वत राशि की मांग की गई हैं तो दिनांक 03.11.2022 को देने हेतु कहा गया हैं तथा उन्होने कहा कि रिश्वत राशि देने के बाद ही बमाह अक्टूम्बर का बिल पास हेतु कहा हैं। रिश्वत राशि 20000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। पूर्व से पाबंद शुदा स्वतंत्र गवाह श्री मनोज जोशी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया मनोज जोशी ने बताया कि श्री मंयज जैन तृतीय श्रेणी अध्यापक अवकाश में होकर बांसवाडा शहर से बाहर गये हुये हैं, जिस पर प्रिन्सीपल, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुपडा से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर श्री मनोज जोशी अध्यापक के साथ अन्य स्वतंत्र गवाह अविलम्ब ब्यूरो इकाई, बांसवाडा भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12.20 पीएम पर तलबिदा शुदा गवाह श्री मनोज जोशी तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं श्री मनोज कुमार मीणा व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुपडा ब्लॉक तलवाडा जिला बांसवाडा उपस्थित आये। समय 12.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार मीणा एवं श्री मनोज जोशी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री पंकजकुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 22.09.2022 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री पंकजकुमार ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 22.09.2022 को आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार व परिवादी श्री पंकजकुमार के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री राजेश कुमार कानि0 से शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर में रखते हुए पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी कवर में डाला गया। समय 01.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री पंकज कुमार से मांगने पर उसने अपने पास से उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष 500–500 रुपये के 40 नोट कुल 20,000 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये।मालखाने से फिनोफथलीन की शीशी श्रीमति पुनम महिला कानि0 के निकलवाई जाकर टेबल पर एक अखबार बिछाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया गया तथा रिश्वत राशि 20,000 रुपये को श्रीमति पुनम महिला कानि0 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तुत नही रखते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्रीमति पुनम महिला कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति पुनम महिला कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्रीमति पुनम महिला कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्क्न, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.35 पीएम पर परिवादी श्री पंकज कुमार को रिश्वत लेन–देने के वक्त होने वाली वार्तालाप रिकोर्ड करने हेतु डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द करते हुये परिवादी एवं श्री राजेश कुमार कानि0 को परिवादी की निजी कार से एवं श्री माजीद खां एवं श्री महेशचन्द्र कानि0 को निजी मोटर साईकिल पर एवं मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज जोशी एवं श्री मनोज कुमार मीणा एवं श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक प्राईवेट वाहन कार से ट्रेप बाक्स, लेपटोप मय प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के लिए रवाना हुए। श्रीमति पुनम महिला कानि0 को कार्यालय में छोड़ा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई, बांसवाडा शुदा करीब 02 मिनट में कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के पास पहूंचे, जहा पर परिवादी श्री राजेश कानि0 को कार उतार कर ने कार को रोड के साईड में खडा कर कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान अपने–अपने वाहनों से उतर कर कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मूकिम हुए। समय 02.55 पीएम पर परिवादी श्री पंकज कुमार ने कार्यालय सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा परिषर के मुख्य द्वार के पास बासवाडा से घाटोल–जयपुर रोड पर खडे होकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फैरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता परिवादी श्री पंकजकुमार के पास पहूंचे एवं परिवादी से ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक उनके कार्यालय कक्ष में बैठे हुए है जिनके द्वारा अभी–अभी मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत राशि अपने हाथ से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब में रख दिये हैं। परिवादी को हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुये कार्यालय सहायक निदेशक भवन में प्रवेश किया तो वहा एक कमरे में एक टेबल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक साहब है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना स्वंय व हमराहियानों का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उसका पूर्ण नाम पता व पदनाम पुछा तो उसने अपना नाम हेमन्त पाटीदार पुत्र श्री डायालाल पाटीदार उम्र 36 वर्ष जाति पाटीदार निवासी मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दुध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल परीविक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाडा, अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा होना बताया। आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार को परिवादी श्री पंकजकुमार से अभी–अभी 20,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई है के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने एकदम मौन हो गया और कुछ नहीं बोला। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री पंकजकुमार ने स्वतः ही बताया कि कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा में वर्ष 2022–23 में मासिक किराये पर शर्तो के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभाग से मेरी फर्म सोलंकी टूर एण्ड ट्रावेल्स के नाम लिखित में अनुबंध कर आदेश जारी किया गया

हैं। नियमानुसार फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध कराने उपरान्त प्रतिमाह विभाग को बिल प्रस्तुत करने पर फर्म के बैक खाता संख्या 39402580848 भारतीय स्टेट बैक शाखा ठिकरिया जिला बांसवाडा में ऑन लाईन जमा किया जाता था। उक्त बिलों के भुगतान हेतु प्रतिमाह 10,000 रूपये की रिश्वत भी श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक द्वारा मांग की जा रही थी और इसके बाद श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा अब मुझसे प्रतिमाह 27342 रूपये के भुगतान करने के एवज में 25000 रूपये की रिश्वत मांग कर कहते है कि तु तो केवल फर्म का बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर मुझे नगद 25000 रूपये दे देना और शेष राशि 2342 रूपये बिल उपलब्ध कराने के एवज में रख लेना तथा विभाग को वाहन भी उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं कहा था। दिनांक 22.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक साहब द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई, परन्तु मैने काफी हाथा–जोडी कर 20000 रूपये देने हेतु कहा था और इनकी मांग अनुसार ही आज 20,000 रुपये रिश्वत राशि अभी उनके कार्यालय कक्ष में देने आया तब वहा पर दो अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे तो मैं उनके कार्यालय स्टाफ कक्ष में जाकर बैठ गया और वह कार्यालय स्टाफ कक्ष में आये और मुझे बुलाकर पीछे बने लेट–बाथ के अन्दर ले गये और रिश्वत राशि मांग करने पर मैने रिश्वत राशि निकाल उनको दी तो उन्होने अपनी दाहिनी हाथ लेकर दोनों हाथों से चैक करते हुये पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब में रख दिये, जिस पर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार ने कहा कि पकज कुमार मुझसे गाडी का डीजल भरवाने एवं मरम्मत कराने हेतु टुकडो–टुकडो में 20,000 हजार रूपये उधार लिये थे जो उसने मुझे लोटाये है, जिस पर परिवादी श्री पकजकुमार ने कहा कि हेमन्त पाटीदार साहब अपने बचाव के लिए झुठ बोल रहे हैं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री मनोज कुमार मीणा द्वारा आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार की पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब की तलाशी लिवाई गई तो जैब सिमटे हुए 500–500 रुपये के नोट बरामद हुये। इन नोटों को गिनवाया गया तो कुल 500–500 रूपये 40 नोट कुल 20,000 रुपये बरामद हुए। उक्त नोटो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। मन् अति० पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री राजेश कुमार कानि० प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स को मौके पर लाकर प्रकिया अनुसार ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय से पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह व हाजरीन ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग भी हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि 20000 रुपयो पर एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा रिश्वत राशि 20,000 रूपये परिवादी से अपने हाथों से ग्रहण कर पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब में रखे तो जौ मौके पर बरामद की गई हैं। आरोपी की पेन्ट की बायी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने पर आरोपी के पहनने हेतु दूसरी पेन्ट मंगवाई जाकर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर दूसरी पेन्ट पहनाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार की पेंट (जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई) की बायी साईड की जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेंट की बायी जेब को सुखवाकर जैब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा पेंट ब्राउण्ड बैगनी कलर को एक सफेद कपडे की थैली में रखवायी जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार से सहायक निदेशक से परिवादी श्री पंकजकुमार के वाहन अनुबंध आदेश व वाहन के बमाह सितम्बर व अक्टूम्बर, 2022 के भुगतान संबंधी दस्तावेज चाहे तो आरोपी ने बताया कि वाहन अनुबंध व बिल पत्रावली कार्यालय के लेखाधिकारी पुंजा चंचावत के पास होना बताया और वह अभी कहीं गयी हुई हैं जो आने वाली हैं। इसी दौरान पुंजा चंचावत लेखाधिकारी द्वितीय भी मौके पर उपस्थित आई जिनको परिवादी के वाहन अनुबंध एवं माह सितम्बर व अक्टूम्बर, 2022 के बिलों की प्रतियां पेश करने हेतु निर्देशित किया गया समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री पंकज कुमार व आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार की निशांदेही पर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर शामील कार्यवाही किया गया। समय 05.45 पीएम पर श्रीमति पुंजा चंचावत लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री पंकज कुमार के अनुबंध वाहन एवं बमाह सितम्बर व अक्टूम्बर, 2022 के बिल की प्रतिया प्रस्तुत कर बताया कि कार्यालय के आदेश कमांक 756 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा अधिकृत सोलंकी टूर्स एण्ड ट्रावेल्स के माध्यम से दिनांक 01.04.2022 से 28.03.2023 तक के लिए वित्तीय विभाग शर्तो एवं प्रभावी दरों से अनुबंध के माध्यम से मासिक किराये पर लिया गया हैं। फर्म सोलंकी टूर्स एवं ट्रावेल्स द्वारा बिल संख्या 160 दिनांक 04.10.2022 राशि 27900 रूपये प्रस्तुत करने पर सहायक निदेशक महोदय श्री हेमन्त पाटीदार प्रमाणित

करने पर बिल संख्या 60 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा फर्म को दिनांक 15.10.2022 को टीडीएस कटौती पश्चात् 27342 रूपये एवं बमाह अक्टूम्बर 2022 का बिल संख्या 62 दिनांक 02.11.2022 राशि 27900 रूपये का प्रस्तुत करने पर श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा प्रमाणित करने पर बिल संख्या 74 दिनांक 03.11.2022 तैयार किया जाकर ट्रेजरी फारवर्ड किया गया जो राशि भुगतान की प्रकियाधीन में चल रहा हैं। अनुबंध आदेश एवं बमाह सितम्बर एवं अक्टूम्बर, 2022 के बिलों को श्रीमति पुजा चंचावत से प्रमाणित कराकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार मीणा व श्री मनोज जोषी, आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार व ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि., श्री महेशचन्द्र कानि., श्री माजिद कानि., श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक. तथा परिवादी श्री पंकज कुमार के परिवादी की कार एवं प्राईवेट वाहन कार व मोटर साईकिल से तथा जप्त शुदा रिश्वत राशि 20 हजार रूपये, आरोपी के दोनो हाथों का धोवन की शीशीया मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच.–02 एवं पी–01 व पी–02 इत्यादि मय ट्रेप बाक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना होकर समय करीब 06.12 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के अपने–अपने वाहनों में ब्यूरो इकाई, बासंवाडा पहूंचे। समय 06.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 03.11.2022 को आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार एवं परिवादी श्री पंकजकुमार बीच हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता को परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजीटल टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्तालाप को पेन ड्राईव (LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर दर्ज वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से चलाकर उपरोक्त मौतबिरान तथा परिवादी को सुनाई गई व इनके रूबरू इस वार्ता की श्री राजेश कुमार कानि0 से शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को उसके कवर मे रखकर पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। डब सीडी को सीडी के कवर में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 07.15 पीएम पर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार हाल परीविक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाडा, अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.30 पीएम पर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार को निगरानी हेतु श्री माजिद खा कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 को मामुर कर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार जो बांसवाडा शहर मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दूध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा अपने परिवार के साथ निवास करता हैं, जिसकी निवास की खाना तलाशी हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री महेशचन्द्र कानि0 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री जितेन्द्रसिंह के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से आरोपी निवास मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दूध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा रवाना हुआ। समय 07.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के निवास मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दूध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा पहूंच खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के निवास मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दूध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा से ब्यूरो इकाई, बांसवाडा के लिए रवाना हुआ। समय 09.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानो के आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के निवास मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दूध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई, बांसवाडा पहूंचा। समय 09.15 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त शुदा रिश्वत राशि 20000 रुपये आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, बरामद रिश्वत राशि पेन्ट की बांयी जैब का धोवन की शिशियां मार्क पी–1 व पी–1, जप्त शुदा पेन्ट पैकेट, प्रकरण में रिकोर्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता की पेन ड्राईव के सीलचीट शुदा पैकेट, डब सीडीयां इत्यादि श्री राजेश कुमार कानि को सूपुर्द कर मालखान रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। समय 09.40 पीएम पर आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा तहरिर जारी कर श्री माजिद खां कानि0, मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 10.15 पीएम पर श्री माजिद खां कानि0 व आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री माजिद खां कानि0 द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसकिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि कार्यालय सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा में वर्ष 2022–23 में मासिक किराये

पर शर्तो के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराने हेतु विभाग से परिवादी की फर्म सोलंकी टूर एण्ड ट्रावेल्स के नाम आदेश क्रमांक 756 दिनांक 25.03.22 द्वारा अनुबंध कर आदेश जारी किया गया हैं। नियमानुसार फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध कराने उपरान्त प्रतिमाह विभाग को बिल प्रस्तुत करने पर फर्म के बैक खाता संख्या 39402580848 भारतीय स्टेट बैक शाखा ठिकरिया जिला बांसवाडा में ऑन लाईन जमा किया जाता था। परिवादी श्री पंकज कुमार उक्त बिलों के भुगतान हेतु प्रतिमाह 10,000 रूपये की रिश्वत भी श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक द्वारा मांग की जा रही थी और इसके बाद श्री हेमन्त पाटीदार द्वारा अब परिवादी से प्रतिमाह 27342 रूपये के भुगतान करने के एवज में 25000 रूपये की रिश्वत मांग कर परिवादी को कहा कि केवल फर्म का बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर नगद 25000 रूपये दे देना और शेष राशि 2342 रूपये बिल उपलब्ध कराने के एवज में रख लेना तथा विभाग को वाहन भी उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं कहा गया। दिनांक 22.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री हेमन्त पाटीदार सहायक निदेशक साहब द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई, परन्तु परिवादी ने काफी हाथा–जोडी कर 20000 रूपये देने हेतु कहा गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार को परिवादी से 20,000 रुपये लेते हुये दिनांक 03.11.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार पुत्र श्री डायालाल पाटीदार उम्र 36 वर्ष जाति पाटीदार निवासी मकान नम्बर ए–70 माही सरोवर नगर गणेश दुध डेयरी के पास हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल परीविक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाडा, अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हेमन्त पाटीदार, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बांसवाड़ा, अतिरिक्त कार्यभार सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 433/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4/11

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 3757-61 दिनांक 4.11.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

4/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।